

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान,
एस0एन0डी0टी0,
महिला विद्यापीठ, मुम्बई।

पत्रांक 16-17/स0क0/2019-20

दिनांक 30.11.19

विषय:- शिक्षक पदों आरक्षण नियमावली प्रमाणित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0 ऑफि0जन0/सत्यम0/2019-20/1056 दिनांक 16.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि महाविद्यालयों के शिक्षक पदों की आरक्षण निर्धारण नामावली प्राथमिक तौर पर प्रमाणित करने के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-04 सन् 1994 के अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 02 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्राविधान है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

30/11/19
(शैलेन्द्र बहादुर सिंह)

जिला समाज कल्याण अधिकारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट, सी-56 ए/14 एण्ड 15, सेक्टर-62,
नोएडा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रेषक,

ज़िला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान,
एस0एन0डी0टी0
महिला विद्यापीठ, मुंबई।

पत्रांक: 121 / पि0व0क0 / 2019-20, दिनांक:- 07/11 / 2019

विषय:- शिक्षक पदों आरक्षण नियमावली प्रमाणित कराने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-ऑफि0जन0/सत्यम/2019-20/1056, दिनांक 16 अक्टूबर 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि महाविद्यालयों के शिक्षक पदों की आरक्षण निर्धारण निर्धारण नामावली प्राथमिक तौर पर प्रमाणित करने के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-04 सन् 1994 के अनुसार प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के खण्ड 3(i)ग के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

भवदीय,

(रंजनीश कुमार पाण्डेय)

ज़िला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पृष्ठांकन एवं दिनांक:-तैदव।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट, सी-56 ए/14 एण्ड 15, सेक्टर 62, नोएडा, उ0प्र0।

ज़िला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 23 मार्च, 1994

चैत्र 2, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या - 488/सत्रह-वि-1-1 (क) - 6-1994

लखनऊ, 23 मार्च 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 के रूप में सर्व आरण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)

अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4 सन् 1994)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

ज्य के पैतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित संक्षिप्त नाम जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और प्रारम्भ आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जाएगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2- इस अधिनियम में -

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है :

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है:

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं :-

(एक) स्थानीय प्राधिकारी :-

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) के यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत के कम न हो :

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई नियम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हों या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वृत्त समादत्त शेयर पूंजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो :-

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है :-

(पांच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन अच्छादित नहीं है।

(छ) किसी रिक्त के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, से है।

जातियों,
जन-जातियों
अन्य पिछड़े वर्गों
क्षेत्र में आरक्षण

3-(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :-

- (क) अनुसूचित जातियों के मामले में इक्कीस प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जन-जातियों के मामले में दो प्रतिशत
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनाधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाय।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी, भर्ती में अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों को अनुपलब्धता के कारण उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रणीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुछ आरक्षण उस वर्ष में कुछ रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचना ओदश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक यह समाप्त न हो जाय।

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है। तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये।

अधिनियम के
अनुपालन के लिए
उत्तरदायित्व और शक्ति

4- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

5-(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो यह, दोष सिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

अभिलेख मांगने की शक्ति

6- यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

चयन समिति में प्रतिनिधित्व

7- राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसे रीति से जैसी आवश्यक समझी जाय और जहां ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारिकों के नाम - निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

छूट और शिथिलीकरण

8-(1) राज्य सरकार, धारा 3 के उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में, आदेश द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा, या साक्षात्कार के लिए फीस छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, लागू रहेंगे जब तक उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।

9- इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

ठिनाईयों को दूर करना

10- यदि इस अधिनियम के उपबन्धों की कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

11- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

12- राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

13- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

आदेशों इत्यादि का रखा जाना

14- धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

15-(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण :- जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार -

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ, यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर, या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकार सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

	37. भर
कम्बोज	38. भुर्जा या भड़भूजा
1. कसगर	39. भठियारा
2. कुंजड़ा या राईन	40. माली, सैनी
3. गोसाई	41. मनिहार
4. गूजर	42. मुराव या मुराई
5. गडेरिया	43. मोमिन (अंसार)
6. गद्दी	44. मिरासी
7. गिरि	45. मुस्लिम कायस्थ
8. चिकवा (कस्साव)	46. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी
9. छीपी	47. मारछा
10. जोगी	48. रंगरेज
1. लोजा	49. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
2. डफाली	50. लोहार
3. तमोली	51. लोनिया
4. तेली	52. सोनार

	53.	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
26. धीवर	54.	हलवाई
27. नक्काल	55.	हज्जाम (नाई)
28. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)		

अनुसूची - दो

(देखिये धारा 3 (1))

1- निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री :-

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य : या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो : या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक, शोध या किसी अन्य संस्था के समूह "क" / श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है : या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह "क" / श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारिक जो उपश्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है : या

(ङ) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो :

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमास दस हजार रुपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

2- चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टॉक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री :

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो।

व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति, पुत्र या पुत्री।

किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाईयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रुपये से अधिक हो और ऐसी इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

5- किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियम सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़ कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रुपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

6- किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम दस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नांगर,
सचिव

No. 1577(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-4-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Sewa (Arthik Roop se Kamjor Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Karmik Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR
ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS) ACT, 2020

(U.P. Act No. 10 OF 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the reservation in public services and posts in favour of the persons belonging to the Economically Weaker Sections of citizens in addition to the existing reservation applicable in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 1, 2019.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “appointing authority” in relation to public services and posts means the authority empowered to make appointment to such services or posts;

(b) “Economically Weaker Sections of citizens” means the persons belonging to Economically Weaker Section, as defined in the Office Memorandum F. No. 36039/1/2019 Estt. (Res), dated 19-01-2019 of D.O.P.T. Ministry of Personnel and Public Grievance and Pension, Government of India for the time being in force;

(c) “public services and posts” means the services and posts in connection with the affairs of the State and includes services and posts in—

(i) a local authority;

(ii) a co-operative society as defined in clause (f) of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 in which not less than fifty-one per cent of the share capital of the society is held by the State Government;

(iii) a Board or a corporation or a statutory body established by or under a Central or Uttar Pradesh Act which is owned and controlled by the State Government, or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty-one per cent of the paid up share capital is held by the State Government;

(iv) an educational institution owned and controlled by the State Government or which receives grants in aid from the State Government, including a University established by or under an Uttar Pradesh Act, except an institution established and administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution;

(v) in respect of which reservation was applicable by the Government orders on the date of commencement of this Act and are not covered under sub-clauses (i) to (iv) ;

(d) "Reservation" means reservation for Economically Weaker Section in vacancies of posts and services in the State of Uttar Pradesh;

(e) "year of recruitment" in relation to a vacancy means a period of twelve months commencing on the first of July of a calendar year within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated.

3. (1) In public services and posts, at the stage of direct recruitment, ten per cent of vacancies to which recruitment are to be made, there shall be reserved in favour of the persons belonging to Economically Weaker Sections of citizens:

Reservation in favour of Economically Weaker Section

Provided that the reservation shall not apply to the category of Economically Weaker Sections of citizens specified in the Schedule to this Act:

Provided further that the candidates from out of the State of Uttar Pradesh shall not be eligible for benefits of reservation under this Act.

(2) The reservation under this section shall be in addition to the reservation provided under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(3) The office memorandum issued by Karmik Anubhag-2 vide no. 1/2019/4/1/2202/ka-2/19T.C.II, dated 18.02.2019 shall be deemed to have been issued under this section.

(4) For applying the reservation under sub-section (1), roaster has been issued by notification O.M. No. 5/2019/4/1/2002/ka-2/2019T.C.-I, dated 13th August, 2019 by the State Government which shall be continuously applied till it is exhausted.

(5) If a person belonging to Economically Weaker Sections of citizens gets selected on the basis of merit in an open competition with unreserved candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

(6) "Where in any particular recruitment year any vacancy earmarked under sub-section (1) for Economically Weaker Sections cannot be filled up due to non availability of a suitable candidate belonging to Economically Weaker Sections such vacancies shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog and the said vacancy shall be filled by the eligible candidates of unreserved category."

Responsibility and powers for compliance of this Act

4. (1) The State Government may, by notified order, entrust the appointing authority or any officer or employee with the responsibility of ensuring the compliance of the provision of this Act.

(2) The State Government may, in the like manner, invest the appointing authority or officer or employee referred to in sub-section (1) with such powers or authority as may be necessary for effectively discharging the responsibility entrusted to him under sub-section (1).

Penalty

5. (1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of section 4 who willfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purpose of this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provision of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

Power to call for record

6. If it comes to the notice of the State Government, that any person belonging to Economically Weaker Sections mentioned in sub-section (1) of section 3 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders issued in this behalf by the appointing authority, it may call for such records and take such action as it may consider necessary.

Income and Assets certificate

7. For the purpose of reservation provided under this Act, income and assets certificate shall be issued by such authority or officer not below the rank of Tehsildar in the State and in such manner and in such form as the State Government may, by order, provide.

The office memorandum no. 1/2019/4/1/2002/ka-2/19T.C.II, dated 18th February, 2019 shall be deemed to have been issued under this section.

Removal of difficulties

8. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

9. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith

10. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

11. The State Government may, by notification amend the Schedule and upon the publication of such notification in *Gazette*, the Schedule shall stand amended accordingly.

Power to amend the Schedule

12. Every order made under sub-section (4) of section 3 and sections 4 and 8 shall be laid as soon as may be, before each House of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Laying of Order etc.

13. The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has been initiated before commencement of this Act and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of law and Government order as they stood before such commencement.

Savings

Explanation: For the purposes of this section the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of-

(i) written test or interview only, the written test or the interview, as the case may be, has started, or

(ii) both written test and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not apply to appointment, to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974.

SCHEDULE

[See Section 3 (1)]

Persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS (Economically Weaker Section), irrespective of the family income:

- i. 5 acres of Agricultural Land and above;
- ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

The income and assets of the families as mentioned above would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in State. The officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and with reference of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training *vide* O.M. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.), dated 19th January, 2019, has been made provision of 10 per cent reservation to Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India.

It has therefore been decided to make a law to provide 10 per cent reservation in Public Services and Posts in favour of persons belonging to the Economically Weaker Sections (EWSs) of citizens in addition to the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

The Uttar Pradesh Public Services Reservation for Economically Weaker Sections Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 195 राजपत्र-2020-(572)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 153 सा० विधायी-2020-(573)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।